

“जल जीवन मिशन” कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी महोदय / उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति-बहराइच की अध्यक्षता में गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” (DWSM) समिति की दिनांक 08 सितम्बर 2026 को अपराह्न 2 :00 बजे आयोजित बैठक की कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-01 के शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “जल जीवन मिशन” के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन व उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश संख्या 2211/38-05-2010-20 स्वजल/2010(टी0सी0-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” की बैठक दिनांक 08 सितम्बर 2026 को आयोजित की गयी बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया-

- | | |
|---|--------------------|
| 1- मुख्य विकास अधिकारी | - उपाध्यक्ष |
| 2- मुख्य राजस्व अधिकारी | - सदस्य |
| 3- प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य | - सदस्य |
| 4- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी | - सदस्य |
| 5- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), बहराइच | - सदस्य सचिव |
| 6- अधिशासी अभियन्ता, मध्याचल विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जनपद बहराइच। | |
| 7- डी0पी0एम0यू0 बहराइच समस्त कर्मचारी। | |
| 8- डी0टी0एल0, टी0पी0आई0, बहराइच। | |
| 9- श्री राकेश तिवारी, मेसर्स पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0 (जे0वी0) | - फर्म प्रतिनिधि |
| 10- श्री हरिभान सिंह, मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-वी0पी0एल0 (जे0वी0) | - फर्म प्रतिनिधि |
| 11- श्री अंकित सिंह, मेसर्स वी0टी0एल0 | - फर्म प्रतिनिधि |
| 12- श्री जिला समन्वयक वाटरएड, बहराइच | - संस्था प्रतिनिधि |



दिनांक 08 सितम्बर 2026 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0 (जे0वी0) एवं मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा-वी0पी0एल0 (जे0वी0) द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जल निगम(ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता जिला अनुश्रवण इकाई बहराइच, टी0पी0आई0 एवं कार्यदायी फर्मों के परियोजना प्रबन्धक/प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया समीक्षा बैठक का विवरण निम्नवत है-

1. जल जीवन मिशन फेज-2 फर्म मेसर्स पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0 (जे0वी0)

अधिशायी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 871 ग्रामों में कार्यों के सम्पादन हेतु चयनित किया गया है। 871 ग्रामों हेतु फर्म द्वारा 599 नग पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 17 आवरण अनुबन्ध का गठन किया गया है। 599 नग योजनाओं के सापेक्ष 598 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। 558 नग लक्षित नलकूपों के सापेक्ष वर्तमान तक 557 नग नलकूपों के कार्य पूर्ण कर 234 नग की टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। 558 नग प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक 546 नग शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रारम्भ करते हुए 209 नग का कार्य पूर्ण किया गया है, तथा 386019 नग लक्षित एफ0एच0टी0सी0 के सापेक्ष दिनांक 04-05-2026 तक 332214 नग गृह संयोजन की रिपोर्ट दी गई है। 7983.00 कि0मी0 प्रस्तावित वितरण प्रणाली के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 98 प्रतिशत कार्य कराया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा स्कीमों में शिरोपरि जलाशय पूर्ण होने के उपरान्त नियमित जलापूर्ति के लिए निर्देशित किया गया कि समस्त कार्यों की प्रगति हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाते हुए कार्यों को निर्धारित समयावधि में निष्पादित करना सुनिश्चित करें तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि उक्त अद्यतन आंकड़ों का प्रभावी अनुश्रवण करते हुए संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में किये गये कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-मेसर्स पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0 (जे0वी0))

2- जल जीवन मिशन फेज-5 फर्म मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा-वी0पी0एल0 (जे0वी0)

अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा-वी0पी0एल0 (जे0वी0) द्वारा 209 ग्रामों हेतु फर्म द्वारा 162 नग पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु गठन किया गया है। 162 नग योजनाओं के सापेक्ष 161 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। 174 नग लक्षित नलकूपों के सापेक्ष वर्तमान तक 171 नग नलकूपों के कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 172 नग प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक 31 नग शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 87614 नग लक्षित एफ0एच0टी0सी0 के सापेक्ष दिनांक 08 सितम्बर 2026 तक 74738 नग गृह संयोजन की रिपोर्ट दी गई है। 1883.00 कि0मी0 प्रस्तावित वितरण प्रणाली के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 86 प्रतिशत कार्य कराया गया है।

(कार्यवाही-फर्म जी0ए0इन्फ्रा-वी0पी0एल0/अधिशायी अभियन्ता)

3- जल जीवन मिशन फर्म मेसर्स वी0टी0एल0

अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मेसर्स वी0टी0एल0 197 योजनाओं के सापेक्ष 101 योजना संचालित है जिसकी समीक्षा की गयी। साथ ही संस्था को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में लक्षित एफ0एच0टी0सी0 के सापेक्ष अवशेष एफ0एच0टी0सी0 सूचना के साथ बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-फर्म वी0टी0एल0/अधिशायी अभियन्ता)

❖ बैठक में विन्दुवार अन्य निर्देश दिये गये:-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल परियोजनाओं में विद्युत समस्याओं का समयबद्ध (जैसे ट्रांसफार्मर, मीटर, पोल स्थानान्तरण, लो-वोल्टेज) निस्तारण करें जिससे पेयजल परियोजना को सुचारु रूप से क्रियाशील किया जा सके। और नयी परियोजनाओं में विद्युत कनेक्शन के कार्य को वरीयता दिया जाये।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि विकास खण्ड हजुपुर के ग्राम पंचायत कन्दरा में पेयजल योजना के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि कोर्ट केस से आक्षेपित है जिसके निस्तारण हेतु उप जिलाधिकारी पयागपुर को अधिशायी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा प्रेषित किये गये पत्र के संदर्भ में उप जिलाधिकारी पयागपुर को निर्देशित किया जाता है कि भूमि के कास्तकार को पेयजल योजना हेतु उपलब्ध करायी गई भूमि के बराबर ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि को उपलब्ध कराते हुए कास्तकार के नाम अंतरित करा दी जाए।
- 3- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी0एम0जे0वी0के0) पूर्व नाम एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत आने वाली 08 परियोजनाओं का जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के देखरेख में कार्यदायी संस्था सी0एल0डी0एफ0 द्वारा कार्य कराया गया है।
- 4- बैठक में निर्देशित किया गया कि ऐसी योजनाओं जिन पर किसी प्रकार का विवाद/अवरोध है, उन योजनाओं हेतु संबन्धित ग्राम के खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, सम्बन्धित थानाध्यक्ष व जल निगम ग्रामीण के

सहायक अभियन्ता की एक संयुक्त टीम गठित करते हुए स्थल/योजना का निरीक्षण कराते हुए प्रकरण को निस्तारित कराते हुए कार्य को पूर्ण कराया जाए।

- 5- बैठक में निर्देशित किया गया मेसर्स पी0एन0सी0 अपनी पेयजल परियोजनाओं का समयबद्धता से कार्य समपन्न कराये।
 - 6- निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाते समय क्षति ग्रस्त किये गये मार्गों का बिना पुर्ननिर्माण कराये भुगतान न किया जाये, साथ ही कार्यदायी संस्था द्वारा योजना वाररिस्टेटमेंट की वस्तु स्थिति का अवलोकन करने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये, जिससे पाइप डालने के उपरान्त सड़क पुर्ननिर्माण की खराब स्थिति की शिकायतें जो मा0 जन प्रतिनिधियों एवं आनलॉइन के माध्यम से प्राप्त होती है, उन शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण किया जा चुका है।
 - 7- बैठक में निर्देशित किया गया परियोजना ग्रामों में संचालित विद्यालय, आंगनबड़ी केन्द्रों, पंचायत भवन एवं अन्य सरकारी भवनों में गृह जल संयोजन (टैप कनेक्शन) भवन के अन्दर अनिवार्य रूप से किया जाये।
 - 8- पाइप पेयजल योजना की वितरण प्रणाली को अन्य विभाग द्वारा (पी0डब्ल्यू0डी0 व बी0एस0एन0एल0 विभाग) क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया कि संयुक्त रूप से बैठक कराते हुए समस्याओं का निराकरण कराया जाये।
- उक्त के अतिरिक्त सभी को निर्देशित किया गया कि “जल जीवन मिशन” योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है, जिन ग्रामों में निर्माण कार्य कराया जा रहा है उनके निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और जल जीवन मिशन कार्यक्रम में संचालित सभी कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए यदि कार्यों के प्रति शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

/

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बहराइच।

कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), बहराइच।

पत्रांक:- 1204 /जल जीवन मिशन/जि0पे0स्व0मि0-बैठक/कार्य- 10 / D4 दिनांक:- 14/09/2026

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी - बहराइच।
5. प्रभागीय वन अधिकारी-बहराइच।
6. अधिशाली अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जनपद-बहराइच।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी-बहराइच।
8. टी0पी0आई0डी0पी0एम0यू0 बहराइच।
9. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (फर्म) को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।


अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
बहराइच।